रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19102020-222558
CG-MH-E-19102020-222558

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441]	**नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942**
No. 441]	**NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942**

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 6 अक्तूबर, 2020

गणपूर्ति

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर,सदस्य (आर्थिक)

परिशिष्ट

(सितम्बर, 2020 के 23 वें दिन पारित)

सं. टीएएमपी/35/2016 विविध.—इस प्राधिकरण ने पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) के 13 फरवरी 2020 के पत्र संख्या पीडी-13033/73/2013-पीटी(भाग) के अनुपालन में महापत्तन शुष्क बल्क कार्गो बर्थिंग नीति, 2016 के अंतर्गत दांडिक बर्थ किराया प्रभार की उगाही/ प्रोत्साहन स्कीम के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाने से संबंधित 20 फरवरी, 2020 को आदेश संख्या टीएएमपी/35/2016-विविध पारित किया था। यह आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, (भाग III खंड 4) में 03 मार्च, 2020 के राजपत्र संख्या 90 में अधिसूचित हुआ। 20 फरवरी 2020 के आदेश के पैरा 3.1 और 3.2 बताते हैं कि उक्त आदेश एमओएस के 13 फरवरी 2020 के पत्र के अनुपालन में सभी महापत्तनों न्यासों [मरमुगांव पत्तन न्यास (एमओपीटी), न्यू मंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) और कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) को छोड़कर] पर लागू होगा।

2.1. इस संबंध में, विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) ने 19 अगस्त, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा उक्त आदेश के कार्यान्वयन की तारीख बताने का अनुरोध किया है।

2.2. सामान्यत अधिसूचना मान्यता: प्राप्त सरकारी संसूचना के माध्यम से प्रकाशित होने पर और अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होती है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि एमओएस के 13 फरवरी 2020 के पत्र के अनुपालन में महापत्तन शुष्क बल्क कार्गो बर्थिंग नीति**,** 2016 के अंतर्गत दांडिक बर्थ किराया प्रभार की उगाही / प्रोत्साहन स्कीम के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाने से संबंधित प्रशुल्क आदेश इस प्राधिकरण द्वारा 03मार्च**,** 2020 के राजपत्र संख्या 90 में अधिसूचित कराया गया था।

3.1. उक्त को देखते हुए 20 फरवरी, 2020 के आदेश को समान रूप से लागू होने की प्रभावी तारीख के संबंध में निम्नलिखित पैरा 3.2 अंतर्विष्ट किया जाता है:-

''3.2. यह आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से अर्थात 3 मार्च, 2020 से प्रभावी होगा''

3.2. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, 20 फरवरी, 2020 के आदेश के मौज़ूदा पैरा 3.2 को पुनसंख्यांकित करते हुए 3.3 किया जाता है।

(टी.एस. बालसुब्रमनियन), सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन—III/4/असा./296/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th October, 2020

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ADDENDUM

(Passed on 23rd day of September 2020)

No.TAMP/35/2016-Misc. This Authority had passed an Order No.TAMP/35/2016-Misc. dated 20 February 2020 relating to the uniform procedure for levy of penal berth hire charges/ incentive scheme under the Berthing Policy for Dry Bulk Cargo for Major Ports, 2016 in line with Ministry of Shipping (MOS) letter No.PD11033/73/2013-PT(Pt) dated 13 February 2020. This Order has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 03 March 2020 vide Gazette No.90. Paragraphs 3.1 and 3.2 of the Order dated 20 February 2020 state that said Order is applicable to all Major Port Trusts [excluding Mormugao Port Trust (MOPT), New Mangalore Port Trust (NMPT) and Kolkata Port Trust (KOPT)] in compliance with MOS letter dated 13 February 2020.

2.1. In this connection, the Visakhapatnam Port Trust (VPT) vide its email dated 19 August 2020 has requested for the date of implementation of the said Order.

2.2. Normally, the notification takes effect only when it is published through recognized official communication and from the date of publication of the notification, unless otherwise indicated. It is relevant to state here that the Tariff Order relating to MOS letter dated 13 February 2020 as regards uniform procedure for levy of penal berth hire charges/ incentive scheme under the Berthing Policy for Dry Bulk Cargo for Major Ports, 2016 was notified by the Authority on 3 March 2020 vide Gazette No.90.

3.1. In view of the above, following para 3.2 is inserted in the said Order dated 20 February 2020 as regards effective date of implementation of the said Order for its uniform application:

3.2. This Order will come into effect from the date of notification of the Order in the Gazette of India i.e. from 3 March 2020."

3.2. The existing para 3.2 of the Order dated 20 February 2020 is renumbered as 3.3.

[T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)]

[Adv.—III/4/Exty./296/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA